

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1696 / 2024 दिनांक 04.05.2024

सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), तत्कालीन अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को दिनांक 18.04.2024 से 20.04.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 17.04.2024 एवं 21.04.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री लोधी की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (किराया अधिकरण)
04.05.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4)/61/2016/ 3569

दिनांक : 04.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 2755 दिनांक 22.04.2024 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर।
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर।

04.05.2024
सहायक रजिस्ट्रार